उज्जैन से देवघर तक 'हर-हर महादेव'

महाकाल मंदिर में विशेष भस्म आरती संपन्न

श्रद्धालुओं की कतारें देर रात तक जारी

देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर में शुक्रवार को श्रद्धालुओं और कांवरियों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है. तड़के सुबह तीन बजे मंदिर के पट खोले गए. इसके बाद कांचा जल स्नान और पारंपरिक सरदारी पूजा विधि से भगवान शिव की पूजा की गई. पूजा के बाद अरघा से जल अर्पित करने की प्रक्रिया शुरू हुई. कांवरियों की लंबी कतारें सुबह से ही मंदिर परिसर में देखी गई. पूरा देवघर बोल बम के जयघोष से गूंज रहा है. श्रद्धालु कतारबद्ध होकर बाबा बैद्यनाथ का जयकारा लगाते हुए आगे बढ़ रहे हैं.

नई दिल्ली, 11 जुलाई. उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकाल के मंदिर में सावन के पहले दिन विशेष भस्म आरती की गई. सुबह तीन बजे मंदिर के पट खुलते ही भक्तों की कतारें लग गईं, जो देर रात 11 बजे शयन आरती तक जारी रहेंगी.

भगवान महाकाल का पंचामृत अभिषेक हुआ, और भांग, चंदन, सूखे मेवों व फूलों से उनका श्रृंगार किया गया. रजत मुकुट, शेषनाग और पुष्पमाला से सजे भगवान को मिष्ठान का भोग लगाया गया. उज्जैन, खंडवा और देवघर में लाखों श्रद्धालु भगवान शिव के दर्शन और जलाभिषेक के लिए उमड़ पड़े हैं. मंदिरों में हर-हर महादेव और बोल बम के जयकारों से माहौल भक्तिमय हो गया है.

शुक्रवार से शुरू हुआ यह पावन महीना नौ अगस्त को समाप्त होगा. शिव देवों के देव महादेव हैं. उनके विनाशक रूप से सभी परिचित हैं, लेकिन शिव की सम्पूर्णता से ज्यादातर लोग अनभिज्ञ हैं. शिव अवधड़ दानी हैं, सबसे बड़े प्रेमी हैं. सती के प्रेम में यदि वह तांडव करते हैं तो मां पार्वती की इच्छा पूरी करने के लिए काशी जैसा शहर बसा देते हैं. शिव और पार्वती की प्रेमगाथा से बढ़ कर कोई और गाथा नहीं है. शिव कला, संस्कृति, गीत, संगीत के देव हैं. शिव नटराज हैं. उनकी उपासना व्यक्ति को शिव की ओर ले जाती है. सबसे बड़ी बात है कि महादेव भक्तों के समक्ष बहुत सरल हैं.

शिरसाट वीडियो वायरल

नोटों से भरे बैग वाले वीडियो ने विवाद बढ़ाया

मुंबई, 11 जुलाई. महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार में मंत्री और शिवसेना नेता संजय शिरसाट की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं. उनको अचानक बढ़ी संपत्ति को लेकर आयकर विभाग का नोटिस मिलने के बाद, अब उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने विवाद खड़ा कर दिया है.

वीडियो में शिरसाट शॉर्ट्स और बनियान पहने बेड पर बैठे सिगरेट पीते हुए दिखाई दे रहे हैं. उनके बगल में एक ट्रॉली बैग रखा है, जिसमें नोटों की गड्डियां भरी हुई दिख रही हैं. वीडियो में उनका पालतू कुत्ता भी दिखाई दे रहा है.शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने यह वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए देवेंद्र फडणवीस पर निशाना साधा. राउत ने लिखा,मुझे देवेंद्र फडणवीस पर दया आ रही है. आखिर उन्हें कितनी बार देखना पड़ेगा कि उनकी इज्जत तार-तार हो रही है. मजबूरी का दूसरा नाम फडणवीस.इस वीडियो को लेकर संजय शिरसाट ने सफाई दी है. उन्होंने कहा कि बैग में पैसे नहीं, बल्कि कपड़े थे.

इससे पहले, आयकर विभाग ने शिरसाट को 2019 से 2024 के बीच बढ़ी हुई संपत्ति को लेकर नोटिस भेजा था. इस पर शिरसाट ने मीडिया से बात करते हुए कहा था, कुछ लोगों को मुझसे बहुत दिक्कत है लेकिन उन्हें जवाब मिल जाएगा. सिस्टम अपना काम कर रहा है और मुझे इससे कोई समस्या नहीं है. मैं किसी तरह के दबाव में नहीं हूं. उन्होंने यह भी कहा था कि आयकर विभाग सबकी जांच करता है .

न्यायालय अपर कलेक्टर जिला रतलाम (म0प्र0)

क्र0/899/आर-2/25 — रतलाम, दिनांक 10-07-2025

प्रेस विज्ञप्ति

तद्द्वारा सर्वसंबंधित को सूचित किया जाता है कि प्राधिकृत अधिकारी बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड द्वारा वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन (सिक्यूरिटीजेशन) एक्ट 2002 की धारा 14 के अंतर्गत एक सरफेसी आवेदन जो इस न्यायालय में बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड विरूद्ध श्री शम्भु परमार व अन्य के नाम से दर्ज होकर प्रचलित है। उक्त प्रकरण में अनावेदकगण 1 श्री शम्भु परमार पिता श्री दामोदर परमार 2 श्रीमती रिंकु परमार पति श्री शम्भु परमार पता : 65 सुरज श्री एक्सटेंशन वाटर टैंक के पास दीनदयाल नगर रतलाम है। उक्त प्रकरण में अनावेदकगण को सूचित किया जाता है कि आगामी पेशी दिनांक 15-07-2025 को दोपहर 3.00 बजे न्यायालयीन कक्ष क्रमांक 11 नवीन कलेक्टोरेट भवन, महू नीमच रोड रतलाम में सुनवाई की जावेगी।

अतः आप नियत पेशी दिनांक व समय पर स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से पक्ष समर्थन किये जाने हेतु उपस्थित रहें। प्रकरण में नियत पेशी दिनांक व समय पर अनुपस्थिति की दशा में एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

आज दिनांक 10-07-2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से जारी।

अपर कलेक्टर
जिला रतलाम

आज का इतिहास

1673 नीदरलैंड और डेनमार्क के बीच रक्षा संधि पर हस्ताक्षर.

1801 अल्जीरिसास की लड़ाई में ब्रिटेन ने फ्रांस और स्पेन को पराजित किया.

1935 बेल्जियम ने तत्कालीन सोवियत संघ को मान्यता दी.

नाम परिवर्तन सूचना

मैं सुशील बिचु (Sushil Bichu) पिता कमलाकर हरि बिचु (Kamlakar Hari Bichu) निवासी ब्लॉक बी-2 फ्लेट नं. 309 शुभ लाभ वैली, श्रीमंगल नगर, बिचौली रोड, इंदौर, मध्यप्रदेश 452016. मेरा पूर्व में पासपोर्ट के अनुसार नाम सुशील कमलाकर बिचु (Sushil Kamalakar Bichu) एवं मार्कशीट और जन्म प्रमाण पत्र के अनुसार नाम सुशील कुमार बिचु (Sushil Kumar Bichu) है, किंतु मेरा अन्य दस्तावेजो में तथा प्रचलित नाम सुशील बिचु (Sushil Bichu) पिता कमलाकर हरि बिचु (Kamlakar Hari Bichu) है, अतः मुझे भविष्य में इसी नाम से जाना पहचाना एवं पुकारा जावे।

Hon. Balasaheb Thackeray Agribusiness and Rural Transformation (SMART) Project (www.smart-mh.org)

E-TENDER NOTICE NO. : 2025_DOAWB_1199340_1
Supply & Installation of Fully Automatic cleaning grading 4 TPH with color sorter

The Government of Maharashtra is implementing the World Bank-funded SMART Project. **Jivandhara Farmers Producer Company Ltd, Padhawad, Tal. Shindkheda, Dist. Dhule** is one of the beneficiaries under the project and inviting online bids on **https://mahatenders.gov.in** for above mentioned Machinery. The last date for submission of online bid is **11/08/2025 upto 12:30 PM.** Any updates or notices shall be published on aforementioned websites only.

District Implementation Unit, SMART Project Dist. Dhule.

राधिका हत्याकांड में चौंकाने वाला खुलासा

गुरुग्राम,11 जुलाई. गुरुग्राम में टेनिस खिलाड़ी राधिका यादव की उसके पिता दीपक द्वारा कथित हत्या के मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है.

राधिका की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में सामने आया है कि उसे पीठ पर नहीं, बल्कि सीने में चार गोलियां लगी थीं. यह रिपोर्ट पहले किए जा रहे दावों और पिता के कबूलनामे से अलग है, जिससे इस मामले में नए सवाल खड़े हो गए हैं. इससे पहले यह दावा किया जा रहा था कि राधिका के पिता ने उस पर पीछे से गोलियां बरसाई थीं और तीन गोलियां उसकी पीठ पर लगी थीं, जब वह किचन में खाना बना रही थी. खुद दीपक यादव ने भी पुलिस के सामने कबूल किया था कि उसने राधिका को तीन गोलियां मारी थीं. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में सामने आई जानकारी के बाद, दीपक यादव के कबूलनामे पर सवाल उठने लगे हैं.

म.प्र. पुलिस आवास एवं अधोसंरचना विकास निगम

कार्यालय परियोजना यंत्री, इंदौर संभाग क्रमांक-02, इंदौर
जी-13, प्रथम 'तल' एम.आई.जी. कॉलोनी, एम.आई.जी. थाने के पीछे, इंदौर (म.प्र.), मो.नं.-9425601512, दूरभाष : 0731-2550472
Email-Id : mpphidclindore2@gmail.com

निविदा आमंत्रण सूचना - 19/2025-26

म.प्र.पु.आ.एवं अधो.वि.नि., इंदौर संभाग क्र.-02, इंदौर सदर बाजार पुलिस लाइन इंदौर में पुराने आवास (आई-1से आई-10) एवं 1 खपरैल आवास (पुराना थाना) कुल 11 आवासों का ध्वस्तीकरण कार्य तथा ध्वस्तीकरण उपरांत मलवा हटाने का कार्य की Lump-Sum निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र दिनांक 17.07.2025 तक खरीदे जा सकते हैं, जिसकी विस्तृत निविदा सूचना एवं अन्य विवरण **https://mptenders.gov.in** पर देखे जा सकते हैं।

म.प्र. माध्यम/121045/2025 — **परियोजना यंत्री**

मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम
पर्यटन भवन, भदभदा रोड, भोपाल-462003
फोन : 0755-4027100, 2774340/42
Website : www.mpstdc.com

Your host in the heart of India www.mpstdc.com

क्रमांक 256/यांत्रिकी/पविनि/25 — **दिनांक : 11.07.2025**

निविदा सूचना 120/2025_STDC_436852_1

मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम भोपाल द्वारा निम्नलिखित कार्य हेतु ऑनलाइन (Online) निविदा प्रपत्र APPENDIX 2.10 पर प्रतिष्ठित/दक्षता प्राप्त फर्मों जिन्हें इस तरह के कार्यों का अनुभव हो, से आमंत्रित की जाती है। कार्य का नाम- **जिला धार में निर्माणाधीन फूड क्राफ्ट संस्थान के लिये रसोई उपकरणों की आपूर्ति का कार्य। (कार्यपूर्णता का समय 03 माह)। कार्य की अनुमानित लागत राशि रुपये 75.55 लाख**

वेबसाइट पर ऑनलाइन भुगतान कर निविदा प्रपत्र (टेण्डर डाक्युमेंट) वेबसाइट के माध्यम से क्रय किये जा सकते हैं। निविदा प्रपत्र ऑनलाइन क्रय करने की **अंतिम तिथि 01.08.2025 समय सायं 05:00 बजे तक** निर्धारित है। कार्य का विस्तृत विवरण वेबसाइट **https://mptenders.gov.in** पर दिनांक 14.07.2025 से देखा जा सकता है।

म.प्र. माध्यम/121056/2025 — **कार्यपालन यंत्री**

Form No. IV
(See Sub rule 2(a) of Rule 5)
DEBTS RECOVERY TRIBUNAL, JABALPUR
(2nd & 3rd Floor, Sachar Vikas Bhawan (BSNL Building),
Near Post Office, Jabalpur (MP) 482001
(Areas of Jurisdiction - Mandhya Pradesh & Chattisgarh)
Original Application No. 191/2025

FF: ....

CENTRAL BANK OF INDIA,
SENDHWA BRANCH BRAWANI — **APPLICANT**

Versus

SMT VINITA AMZARE — **DEFENDANTS**

To,

Smt Vinita Amzare W/o Shri Chandan Amzare
R/o Abhinav Colony, Gali No. 1, Ward No. 1, School Wali Gali, Sendhwa, Dist. Barwani M.P.

Wheareas, OA No. 191/2025 was listed before Hon'ble Presiding Officer on 29.04.2025.

Whereas the Hon'ble Tribunal is pleased to issue summons/notice on the said application under Section 19(4) of the Act (O.A.) filed against you recovery of debts of **Rs. 24,41,980.59/-**.

In accordance with Sub Section 04 of Section 19 of the Act, you the defendants are directed as under :-

(i) To show case within thirty days of the service of the summons as to why relief prayed for should not be granted.

(ii) To disclose particulars of properties or assets other than properties and assets specified by the applicant under Serial No.3-A of the application.

(iii) You are restrained from dealing without disposing of secured assets or such other assets and properties disclosed under Serial No.3-A of the Original Application, pending hearing and disposal of the application for attachment of properties.

(iv) You shall not transfer by way of sale, lease or otherwise. except in the ordinary course of his business any of the assets over which security interest created and /or other assets and properties specified or disclosed under Serial No.3A of the Original Application without the prior approval of the Tribunal.

(v) You shall be liable to account for the sale proceeds realized by sale of secured assets or other assets and properties in the ordinary course of business and deposit such sale proceeds in the account maintained with the bank of financial institutions holding security interest over such assets

You are also directed to file the Written Statement with a copy thereof furnished to the applicant and to appear Hon'ble Tribunal before **29.10.2025 at 10:30 AM** failing which the application shall be heard and decided in your absence.

Given under my hand and the seal of the Tribunal this **10th day of July, 2025.**

SEAL

By Order of Tribunal
Debts Recovery Tribunal, Jabalpur

आधार हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड

Aadhar Housing Finance Ltd

कार्पोरेट कार्यालय : युनिट नं. 802, नटराज रुस्तमजी, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे एवं एम.वी. रोड़, अंधेरी (पूर्व), मुम्बई - 400069.
देवास शाखा: प्लॉट नंबर 01, विमला टाउनर, दूसरी मंजिल, राम नगर, ए.बी. रोड, देवास-455001 (मध्य प्रदेश)

आधिपत्य सूचना परिशिष्ट 4 (अचल संपत्ति हेतू)

जबकी, **आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (AHFL)** के प्राधिकृत अधिकारी के तौर पर सिक्युरीटाइजेशन एंड रिकंस्टक्शन ऑफ फायनेंशियल एसेट्स एण्ड इंफोर्समेन्ट ऑफ सिक्युरिटी इंटस्ट एक्ट 2002 एवं सिक्युरिटी इंटस्ट (इंफोर्समेन्ट) नियम 2002 का नियम 3 के साथ सपठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को उपयोग करते हुए कंपनी के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उपरोक्त सूचना प्राप्ति के 60 दिवस में नीचे सूचना में वर्णित राशि का पुर्नभुगतान करने के लिए ऋणकर्ताओ/ प्रतिभूतिकर्ताओं को मांग सूचना (ए) जारी की थी। ऋणकर्ताराशि का पूर्नभुगतान करने में असफल रहे है, सिक्युरिटी इंफोर्समेन्ट नियम 2002 के नियम 8 के साथ सपठित उपरोक्त कानून की धारा 13 के सब-सेक्शन (4) के अंतर्गत के साथ प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए ऋणकर्ता(ओ)/ प्रतिभूतिकर्ता(ओ) एवं सामान्य जनों को सार्वजनिक रूप में सूचित किया जाता है वर्णित संपत्ति पर अधोहस्ताक्षरकर्ता ने अधिगृहण कर लिया है। धरोहर संपत्ति के एवज में संपत्ति को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय सीमा पर कानून की धारा 13 का सब सेक्शन (8) के प्रावधानों पर ऋणकर्ताएं ध्यान देवे। ऋणकर्ता को विशेष रूप में एवं सामान्य जनो को सार्वजनिक रूप से यह चेतावनी दी जाती है कि संपत्ति के साथ कोई व्यवहार न करें एवं संपत्ति के साथ कोई व्यवहार नीचे वर्णित राशि के साथ शेष देय ब्याज के लिए AHFL के शुल्क के विषयानुसार होगी।

क्रं.	ऋणकर्ता(ओ)/प्रतिभूतिकर्ता(ओ) (शाखा का नाम)	धरोहर संपत्ति विवरण (अचल संपत्ति)	मांग सूचना का दिनांक एवं राशि	आधिपत्य का दिनांक
1	(लोन कोड नं. 02100000213/ देवास शाखा) संतोष राठौर (ऋणी), हेमलता संतोष राठौर (सह-ऋणी) बद्रीप्रसाद राठौर (जमानतदार)	संपत्ति का समस्त शेष एवं सम्पूर्ण भाग, प्लाट नं. बी-55, गोकुल वृंदावन सिटी, ग्राम किसोनी आष्टा शुजालपुर रोड़, शुजालपुर म.प्र. 465333, **चर्तुसीमाएँ:-** पूर्व- रोड़, पश्चिम- प्लाट नं. बी-50, उत्तर- प्लाट नं. बी-54 53 एवं 52, दक्षिण- प्लाट नं. बी-56	09-11-2017 & ₹ 6,31,444/-	09-07-2025

स्थान : मध्य प्रदेश
दिनांक : 12-07-2025

प्राधिकृत अधिकारी
आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

श्रावण के पहले दिन योगी ने किया रुद्राभिषेक

लखनऊ, 11 जुलाई. देवाधिदेव भगवान शिव के प्रिय मास श्रावण के पहले दिन शुक्रवार को वाराणसी समेत समूचे उत्तर प्रदेश में शिवालयों में श्रद्धालुओं ने हर हर महादेव के उदघोष के साथ जलाभिषेक किया. इस दौरान सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किये गये हैं.मुख्यमंत्री एवं गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में रुद्राभिषेक व हवन किया. रुद्राभिषेक का अनुष्ठान पूर्ण कर उन्होंने भगवान भोले शंकर से चराचर जगत के कल्याण और सभी नागरिकों के सुख-समृद्धि की प्रार्थना की. मंदिर के अपने आवास के प्रथम तल स्थित शक्तिपीठ में योगी ने भगवान भोलेनाथ को विल्व पत्र, दुर्वा, मदार पत्र, कमल पुष्प समेत अनेकानेक पूजन सामग्री अर्पित करने के बाद जल, दूध और ऋतुफल के रस से रुद्राभिषेक किया. मठ के विद्वत आचार्यगण एवं पुरोहितगण ने शुक्ल यजुर्वेद संहिता के रुद्राष्टाध्यायी के महामंत्रों द्वारा रुद्राभिषेक संपन्न कराया. रुद्राभिषेक के बाद गोरक्षपीठाधीश्वर ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच हवन किया.

SMFG INDIA CREDIT COMPANY LIMITED

SMFG IndiaCredit Pragati Ki Nayi Pehchaan

कॉर्पोरेट कार्यालयः 10वीं मंजिल, कार्यालय संख्या 101,102 और 103, 2 नॉर्थ एवेन्यू, निमार्ता प्रगति की नई पहचान। मैक्सिटी, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (ई), मुंबई - 400051।

अचल संपत्तियों की बिक्री हेतु बिक्री सूचना

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अचल संपत्तियों की बिक्री हेतु 30 दिनों की ई-नीलामी बिक्री सूचना, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 और 9 के परंतुकों के साथ पठित।

एतद्वारा आम जनता और विशेष रूप से ऋणी(ओं) और गारंटीकर्ता(ओं) को सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्तियाँ, जो सुरक्षित ऋणदाता के पास गिरवी/प्रभारित हैं, जिनका भौतिक कब्जा एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट कंपनी लिमिटेड/सुरक्षित ऋणदाता के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ले लिया गया है, 19.08.2025 को प्रातः 11:00 बजे से अपराह्न 01:00 बजे तक (प्रत्येक 5 मिनट के असीमित विस्तार के साथ) "जहाँ है जैसी है", "जो है जैसी है" और "जो कुछ भी है" के आधार पर बेची जाएँगी, ताकि ऋण की वसूली की जा सके। 03-12-2024 तक रु. 1,13,14,186/- (एक करोड़ तेरह लाख चौदह हजार एक सौ छियासी रुपये मात्र) और उस पर वसूली की तिथि तक ब्याज और अन्य व्यय, उधारकताओं और गारंटर (ओं) अर्थात1) अग्रवाल समूह, 2) विजय गुप्ता, और 3) सुकेश गुप्ता से एसएमएफजी इंडिया कंपनी लिमिटेड/सुरक्षित लेनदार को देय।

संपत्ति 1 के लिए आरक्षित मूल्य रु. 13,683,250 (एक करोड़ छत्तीस लाख तिरासी हजार दो सौ पचास रुपये मात्र) होगा और बयाना राशि (ईएमडी) रु. 1,368,325/- (तेरह लाख अड़सठ हजार तीन सौ पच्चीस रुपये मात्र) होगी। ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि 18.08.2025 होगी। संपत्ति 2 का आरक्षित मूल्य ₹6,992,420 (उनत्तर लाख बयानवे हजार चार सौ बीस रुपये मात्र) होगा और बयाना राशि (ईएमडी) ₹699,242 (छह लाख निन्यानवे हजार दो सौ बयालीस रुपये मात्र) होगी। ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि 18.08.2025 होगी।

अचल संपत्ति का विवरणः संपत्ति 1ः सर्वेक्षण क्रमांक पर मकान/भूखंड। 381/985/MIN-2, 381/986 PEKI, 381/987 PEKI, 381/988 PEKI, 381/989 पेकी पटवारी हल्का नंबर। 39, वार्ड नं. 02 एवं सरल नं. 229 देवास सीनियार।
संपत्ति 2ः सर्वेक्षण संख्या का भाग. 381/985/MIN-4, 381/987 PEKI, 381/988PEKI, 381/988 PEKI, 381/989 पेकी, पटवारी हल्का नंबर। 39, वार्ड नं. 02 एवं सरल नं. 223 देवास सीनियर, तहसील एवं जिला देवास, क्षेत्रफल 2504.00 वर्ग फुट।

बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया संपर्क करेंः 1) श्री फ्रांसिस रोजारियो एम. +91 8655424523, 2) श्री प्रतीक दुबे +91 9826636599, 3) श्री वीरेंद्र सिंह चुंडावत +91 8655314918। कृपया ध्यान दें कि इच्छुक खरीदारों/बोलीदाताओं को बयाना राशि (EMD) और अन्य शेष राशि NEFT/RTGS/DD के माध्यम से जमा करनी होगी। अधिक जानकारी के लिए, कृपया SMFG इंडिया क्रेडिट कंपनी लिमिटेड/सिक्योर्ड क्रेडिटर की वेबसाइट www.smfgindia.com पर दिए गए नीचे दिए गए लिंक को देखें।

स्थानः देवास
दिनांकः 12.07.2025

एसडी/-, प्राधिकृत अधिकारी,
एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट कंपनी लिमिटेड

उम्मीद हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड

UMMEED HOUSING FINANCE We bring your dreams to life

पंजीकृत कार्यालयः यूनिट 2009-14, 20वीं मंजिल, टावर-2, मैग्नम ग्लोबल पार्क, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड, सेक्टर-58, गुरुग्राम (हरियाणा)-122011") CIN:U65922HR2016PTC057984.

सरफेसी अधिनियम की धारा(13)2 के तहत मांग नोटिस

चूँकि ऋण खाता एनपीए हो गया है, इसलिए वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13[2] के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी ने ऋणी/आवेदक/गारंटर/ बंधककर्ता को 60 दिनों का डिमांड नोटिस जारी किया है। तालिका में दिए गए हैं। नोटिस के अनुसार, यदि ऋणी 60 दिनों के भीतर पूरी राशि जमा नहीं करते हैं, तो राशि नीचे उल्लिखित बंधक संपत्ति/सुरक्षित संपत्तियों की नीलामी से वसूल की जाएगी। इसलिए, ऋणधारियों को सूचित किया जाता है कि वे मांग नोटिस की तिथि से 60 दिनों के भीतर पूरी ऋण राशि, भविष्य के ब्याज और खर्चों सहित जमा करें, अन्यथा उक्त अधिनियम की धारा 13[4] और 14 के प्रावधानों के तहत, प्राधिकृत अधिकारी नीचे दिए गए अनुसार बंधक संपत्ति/सुरक्षित संपत्तियों की बिक्री के लिए कब्जा ले रहा है। उधारकताओं को ध्यान देना चाहिए कि अधिनियम, 2002 की धारा 13[13] के अनुसार इस सूचना की प्राप्ति के बाद, आपको सुरक्षित ऋणदाता की पूर्व लिखित सहमति के बिना, बिक्री, पट्टे या अन्यथा किसी भी सुरक्षित संपत्ति को हस्तांतरित करने से प्रतिबंधित और रोका जाता है। उधारकताओं का ध्यान प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 अधिनियम की धारा-13[8] आर/डब्ल्यू नियम 3[5] की ओर आकर्षित किया जाता है कि उधारकर्ता नीलामी सूचना के प्रकाशन से पहले नीचे उल्लिखित पूर्ण बकाया राशि का भुगतान करने पर अपनी सुरक्षित संपत्ति को भुनाने का हकदार होगा, जो उसके बाद समाप्त हो जाएगी।

स. क्र.	उधारकर्ता/आवेदक/गारंटर/बंधककर्ता का नाम	यू/एस डिमांड नोटिस की तिथि और राशि 13[2]
1.	1. कुसुम भारती पत्नी स्वर्गीय बंशी लाल भारती (सह-उधारकर्ता सह कानूनी उत्तराधिकारी) 2. कार्तिक भारती पुत्र स्वर्गीय बंशी लाल भारती (उधारकर्ता का कानूनी उत्तराधिकारी) दोनों उपरोक्त निवासी- टीला खेड़ी रोड, फंदा खुर्द, पोस्ट फंदा कला, वीटीसी हुजूर, पो- बैरागढ़, उप-जिला-हुजूर, जिला भोपाल एमपी 462030 ऋण संख्या - LXBHP04124-250043666 ऋण अनुबंध दिनांकः 24-अक्टूबर-2024 ऋण राशि रु. 790000/-	13 जून 2025, 13 जून 2025 तक ₹840,222.67/- (केवल आठ लाख चालीस हजार दो सौ बाईस रु और सड़सठ पैसा)+ 14 जून 2025 की तिथि से अतिरिक्त ब्याज और अन्य शुल्क।
बंधक संपत्ति का विवरणः आवासीय क्षेत्र का वह पूरा हिस्सा संपत्ति मकान संख्या 47, पटवारी हल्का संख्या 63, खसरा संख्या 141, ग्राम फंदा खुर्द, तहसील- हुजूर, जिला भोपाल, मध्य प्रदेश में स्थित है। कुल क्षेत्रफल 3400 वर्ग फुट है। उत्तर में दयाराम का मकान, दक्षिण में रास्ता, पूर्व में गली और पश्चिम में नितेश भारती का मकान है।		
2.	1. मुकेश अवासे पुत्र रतन (उधारकर्ता) 2. प्रमिला बाई पत्नी मुकेश (सह-उधारकर्ता) उपरोक्त दोनों निवासी - सड़क फलिया, ग्राम हीरापुर मुल्थान, खरगोन, मध्य प्रदेश 451335 ऋण संख्या - छडलअ02323-240032306 ऋण अनुबंध की तिथिः 31 दिसंबर 2023 ऋण राशि ₹1050000/-	16 जून 2025, ₹1,098,405/- (केवल दस लाख अट्ठानवे हजार चार सौ पाँच रुपये) 16 जून 2025 तक + 17 जून 2025 से अतिरिक्त ब्याज और अन्य शुल्क
बंधक संपत्ति का विवरणः आवासीय क्षेत्र का वह हिस्सा संपत्ति जिसका क्षेत्रफल 1964 वर्ग फुट यानी 182.52 वर्ग मीटर है। पटवारी हल्का संख्या 81, वार्ड संख्या 14, ग्राम हिरपुर, तहसील- कसरावद, जिला खरगोन, मध्य प्रदेश में स्थित है। पूर्व में - मालिक की भूमि, पश्चिम में - कैलाश की भूमि, उत्तर में - मगन की भूमि, दक्षिण में - आम सड़क।		

दिनांकः 12.07.2025
स्थानः गुरुग्राम

प्राधिकृत अधिकारी, श्री गौरव त्रिपाठी मोबाइल- 9650055701
उम्मीद हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड

HDFC BANK

एचडीएफसी बैंक लिमिटेड

शाखा कार्यालयः एचडीएफसी लिमिटेड, प्लॉट नंबर 3, दूसरी मंजिल, स्टार स्क्वायर आईएसबीटी के पास नेक्सा शोरूम के ऊपर, कस्तूरबा नगर, भोपाल - 462001, CIN: L65920MH1994PLC080618, वेबसाईट: www.hdfcbank.com

मांग सूचना

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूतिहित हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (अधिनियम) की धारा 13 (2) के तहत, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के अंतर्गत।

जबकि, वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठनअधिनियम 2002 तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के सपठित धारा 13(12) में प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत **एचडीएफसी बैंक लिमिटेड** (पूर्ववर्ती एचडीएफसी लिमिटेड का दिनांक 17 मार्च 2023 के आदेश के तहत माननीय एनसीएलटी-मुंबई द्वारा अनुमोदित समामेलन की एक योजना के आधार पर एचडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ विलय हो गया है) के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत निम्नलिखित ऋणियों/वैध वारिसों/ वैध प्रतिनिधियों को उनके नाम के सम्मुख दर्शाई गई दिनांक से 60 दिन के अंदर मांग सूचनाओं में अंकित राशियों के भुगतान हेतु अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा आमंत्रित किया था। अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा ऋणियों/सह-ऋणियों /वैध वारिसों/वैध प्रतिनिधियों को उनके अंतिम ज्ञात पते के परिसर में इन सूचनाओं को चस्पा कर दिया गया था तथा ऋणियों/सह-ऋणियों / वैध वारिसों/वैध प्रतिनिधि यदि चाहे तो वे सामान्य कार्यालयीन समय के दौरान किसी भी कार्यदिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता से संबंधित प्रतिलिपी प्राप्त कर सकते है।

उपरोक्त के संबंध में, एतद् द्वारा ऋणियों/सह-ऋणियों /वैध वारिसों/वैध प्रतिनिधियों को एक बार पुनः सूचित किया जाता है कि, उपरोक्त ऋणियों द्वारा निष्पादित, यदि कोई हो तो ऋण अनुबंध तथा अन्य लेख/दस्तावेज के स पठित निराकरण/भुगतान की दिनांक तक नीचे दिए गए कॉलम (सी) में अंकित संबंधित दिनांक से मांग सूचनाओं में वर्णित ब्याज सहित संबंधित नामों के समक्ष नीचे दी गई राशियों का इस सूचना प्रकाशन की दिनांक से **60 दिन** के अंदर एचडीएफसी को भुगतान करें। ऋण के देय भुगतान हेतु प्रतिभूति के रुप में क्रमशः निम्न सम्पत्तियाँ ऋणियों द्वारा एचडीएफसी को बंधक रखी गई हैः-

ऋणी(यों)/ सह -ऋणी(यों)/कानूनी वारिस (सों)/ कानूनी प्रतिनिधि(यों)का ध्यान प्रतिभूत आस्तियों के मोचन के लिए उपलब्ध समय के सदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के उपबधों की ओर आकृष्ट किया जाता है।

क्रं.	ऋणीयों/वैध वारिसों तथा वैध प्रतिनिधियों के नाम	कुल बकाया राशि	मांग नोटिस की दिनांक	सुरक्षित आस्ति(यों)/ अचल संपत्ति (यों) का विवरण
(ए)	(बी)	(सी)	(डी)	(ई)
1	**1.श्री अनिल तिवारी, 2.श्रीमती गरिमा तिवारी** **पता 1:** फ्लेट एल-11/ 206, फ्लोर-एल-11/206, बीडीए घरौंदा (बर्रई आवासीय योजना) सर्वे नं. बीडीए, ग्राम बर्रई, भोपाल 462003 (म.प्र.) **पता 2:** 262, महेश नगर, अलकापुरी, रतलाम 457002 (म.प्र.)	Rs. 7,45,742/- दिनांक 31-05-2025	02-07-2025	संपत्ति के समस्त भाग एवं अंश एक आवासीय लीजहोल्ड फ्लेट/यूनिट नंबर एल-11/206, ब्लॉक नंबर एल-11, घरौंदा बरई आवासीय योजना, किफायती आवास योजना बरई फेज-1, जिला भोपाल (म.प्र.) **चर्तुसीमाएँ:-** उत्तर- खुला, दक्षिण- पैसेज, पूर्व- 207, पश्चिम- 205 **फ्लेट/यूनिट का कुल क्षेत्रफल 550.37 वर्ग फीट यानी 51.14 वर्ग मीटर**

*आगे के प्रतिवर्ष ब्याज जो लागू हो आकस्मिक व्यय, लागत, शुल्क आदि सहित निराकरण/भुगतान होने की दिनांक तक यदि ऋणी उपरोक्तानुसार एचडीएफसी को भुगतान करने में असफल होते है तो एचडीएफसी उपरोक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत तथा लागू नियमों के तहत सुरक्षित संपत्तियो/ अचल संपत्तियों के विरूद्ध कार्यवाही करने को बाध्य होगी जिसके परिणाम व लागत की सम्पूर्ण जवाबदारी ऋणि(यों)/वैध वारिसों(सों)/वैध प्रतिनिधियों (यों) की रहेगी।

उपरोक्त अधिनियम के अंतर्गत ऋणी(यों)/वैध वारिस(सों)/वैध प्रतिनिधी(यों) एचडीएफसी की पूर्व सहमति के बिना उपरोक्त सुरक्षित संपत्तियो/अचल संपत्तियों को किसी भी तरह के विक्रय, लीज़ या अन्य किसी तरीके से हस्तांतरण हेतु प्रतिबंधित है। कोई भी व्यक्ति जो अधिनियम के प्रावधानों या इसके अधिन नियमों के उल्लंघन का दोषी पाया जाएगा अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत कैद या जुर्माने का पात्र होगा।

स्थान : भोपाल
दिनांक : 12.07.2025

वास्ते/- **एचडीएफसी बैंक लिमिटेड**
प्राधिकृत अधिकारी

IDFC FIRST Bank

CIN: L65110TN2014PLC097792
पंजीकृत कार्यालयः केआरएम टावर्स, आठवीं मंजिल, हैरिंगटन रोड, चेटपेट, चेन्नई-600031।
दूरभाषः +914445644000, फैक्सः+914445644022

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड
(पूर्व कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, जिसका आईडीएफसी बैंक लिमिटेड में विलय हो गया है और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के नाम से जाना जाता है)

परिशिष्ट- IV-A [नियम 8 (6) और 9 (1) का परंतुक देखें]

अचल संपत्तियों की बिक्री हेतु बिक्री सूचना

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अचल संपत्तियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी बिक्री सूचना, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 (6) और 9 (1) के परंतुक के साथ पठित।

एतद्वारा आम जनता को और विशेष रूप से स्तंभ (iii) के अनुसार ऋणी (कों), सह-ऋणी (कों) और गारंटर (कों) को सूचित किया जाता है कि स्तंभ (iv) के अनुसार नीचे वर्णित अचल संपत्तियाँ, जो सुरक्षित लेनदार के पास गिरवी/प्रभारित हैं, और जिनका कब्जा पूर्व में आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ले लिया गया है, स्तंभ (i) के अनुसार ऋणी (कों) और सह-ऋणी (कों) से आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्व में आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के रूप में ज्ञात) को देय राशि की वसूली के लिए, जैसा कि नीचे वर्णित है, "जहाँ है जैसी है", "जो है जैसी है जैसी है" और "जो कुछ भी है" के आधार पर बेची जाएँगी। बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की वेबसाइट www.idfcfirstbank.com पर दिए गए लिंक को देखें।

Online Property Survey

स. क्र.	(i) माँग सूचना राशि	(ii) अनुबंध आईडी	(iii) उधारकर्ता (ओं), सह-उधारकर्ता (ओं) और गारंटर (ओं) का नाम	(iv) गिरवी संपत्ति का पता	(v) आरक्षित कीमत राशि	(vi) ईएमडी राशि	(vii) नीलामी की तिथि और समय	(viii) नीलामी की तिथि और समय अग्रिम जमा राशि	(ix) निरीक्षण की तिथि और समय	(x) अधिकृत अधिकारी का नाम और संपर्क नंबर
1	रूपये 45689443.74/- मांग सूचना दिनांकः 18-अक्टूबर-2023	12490581, 35750869, 21184665, 12724858 और 35435614	एक्यूरेट लेबलटेक, मीना मेहबूब खेरानी और मेहबूब खेरानी	मद-I:- प्लॉट संख्या 518 पुराना (नया नंबर 41) पैकी भाग संख्या 16 का वह पूरा टुकड़ा, जो शीलनाथ कैंप, इंदौर, मध्य प्रदेश में स्थित है, प्लॉट क्षेत्रफल 2868.75 वर्ग फुट है, और इसकी सीमा इस प्रकार हैः- पूर्वः भाग संख्या 15, पश्चिमः भाग संख्या 17, उत्तरः भाग संख्या 21 और दक्षिणः सड़क	रूपये 26730200.00/-	रूपये 2673020.00/-	19 अगस्त 2025 सुबह 11:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक	18 अगस्त 2025 सुबह 10:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक	12 अगस्त 2025 सुबह 10:00 बजे शाम 4:00 बजे तक	नाम- गौरव अग्रवाल संपर्क संख्या- 9893049553 नाम- संदेश जैन संपर्क संख्या- 8839140796
							संपत्ति के स्थान के क्यूआर कोड और संपत्ति की तस्वीरें			
				मद-II:- प्लॉट संख्या 518 (नया नंबर 41) पैकी भाग संख्या 15 का वह पूरा टुकड़ा, जो शीलनाथ कैंप, इंदौर, मध्य प्रदेश में स्थित है, प्लॉट क्षेत्रफल 2868.75 वर्ग फुट है, और इसकी सीमा इस प्रकार हैः- पूर्वः भाग संख्या 14, पश्चिमः भाग संख्या 16, उत्तरः भाग संख्या 24 और दक्षिणः सड़क	रूपये 25317000.00/-	रूपये 2531700.00/-	संपत्ति के स्थान के क्यूआर कोड और संपत्ति की तस्वीरें			

अस्वीकरणः कृपया ध्यान दें कि उक्त नोटिस केवल अचल संपत्ति की बिक्री के लिए जारी किया गया है और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड को अचल संपत्ति पर मौजूद चल संपत्ति, यदि कोई हो, की बिक्री का कोई अधिकार नहीं है।

दिनांकः 12.07.2025
स्थानः मध्य प्रदेश

प्राधिकृत अधिकारी
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड
(पूर्व में आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के नाम से जाना जाता था)